जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

बिजली चोरी पर जयपुर डिस्कॉम की सख्त कार्यवाही

गत 5 माह में बिजली चोरी व दुरुपयोग के 28 हजार से अधिक मामले पकड़े

68 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना, 23 करोड़ के राजस्व की वसूली

जयपुर, 01 नवम्बर। जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत चोरी व दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जून माह से गहन सतर्कता जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत उच्चतम विद्युत छीजत वाले फीडरों व विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित कर सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच की कार्यवाही की जा रही हैं।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.गुप्ता ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम के अन्तर्गत आने वाले सभी 13 सर्किलों में विद्युत चोरी व दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए सघन सतर्कता जांच अभियान में माह जून से अक्टूबर, 2019 तक बिजली चोरी व दुरुपयोग के 28 हजार 657 मामले पकड़े गए हैं। सतर्कता अधिकारियों द्वारा पकड़े गए इन प्रकरणों में 68 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसमें से 23 करोड़ 18 लाख रुपए के राजस्व की वसूली की जा चुकी है। शेष जुर्माना राशि की वसूली के प्रयास जारी है तथा जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने वाले व्यक्तियों/उपभोक्ताओं के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि विधिक कार्यवाही के दौरान विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में गत 5 माह में जून से अक्टूबर, 2019 तक 4527 प्राथमिकी दर्ज कर 131 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है एवं 51 व्यक्तियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके है। शेष मुकदमों में त्वरित अनुसंधान पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों, रेस्टोरेन्टों आदि के साथ–साथ मोबाईल टावरों, बहुमंजिला इमारते, शैक्षणिक संस्थान, कोल्ड स्टोरेज, केशर, आर.ओ. प्लान्ट्स आदि की सतर्कता जांच पर विशेष जोर दिया गया है। सतर्कता जांच अभियान अभियान आने वाले दिनों में भी अधिक प्रभावी तरीके से जारी रहेगा।

————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 935/2019